64. लेखा परीक्षा- (1) निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति प्रत्येक सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा करायेगा जिसे उसने तदर्थ लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट की जायें।

2[" प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी बैंक की लेखा परीक्षा, निबन्धक द्वारा इस प्रयोजन से अनुमोदित पैनल में से प्रबन्ध कमेटी द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा की जायेगी। निबन्धक

चार्टड एकाउण्टेंट की फीस भी निर्धारित करेगा जिसका भुगतान सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जायेगा।"

(2) उपधारा (1) के अधीन लेखा परीक्षा में वीतकाल (overdue) ऋणों का, यदि कोई हो, परीक्षण, रोकड़ बाकी और प्रतिभूतियों का सत्यापन और समिति की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा, यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सभी समयों पर, समिति की या समिति की अभिरक्षा में रखी गयी, सभी बहियों, लेखा, लेख्यों, पत्रादि, प्रतिभूतियों , नकदी और अन्य सम्पत्ति को दे सकेगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखे, लेख्य, पत्रादि, प्रतिभूतियॉ , नकदी या अन्य सम्पत्तियॉ हों या जो इनके लिये उत्तरदायी हों, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में प्रस्तुत करने के निमित्त आहूत कर सकता है।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का अधिकारी या कर्मचारी हो या किसी समय रहा हो और समिति का प्रत्येक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य समिति के व्यवहारों और कार्य संचालन के सम्बन्ध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षा करे।

1[(5)" जहां रिजर्व बैंक किसी सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध करें तो इसे कराया जाएगा एवं विशेष लेखा परीक्षा की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को उसके द्वारा ऐसे अनुरोध में निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी।"

---

1. धारा 59 और 60 में उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 47 सन् 2007 द्वारा प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढाया गया जो उ0 प्र0 असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क) दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 को प्रकाशित हुआ।

2. धारा 64 उपधारा (1) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 47 सन् 2007 बढाया गया जो उ0 प्र0 असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क) दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 को प्रकाशित हुआ।